Dav. 414
24-12-18

कार्यालय– जिला एंव सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, जिला– गुना(म.प्र.)

E-Mail ID dcourtgun-mp@nic.in, Fax & tel. No. 07542-256176

–: कैन्टीन संचालन हेतु निविदा आमत्रंण सूचना–:

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय गुना में कैन्टीन संचालन हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाना है। निविदा की न्यूनतम राशि **850000/– (आठ लाख पचास हजार)** रूपये है।

निविदा शर्तो के सबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 21.01.2019 को शाम 05.00 वजे तक कार्यालय जिला न्यायालय गुना में पंजीकृत डाक से जमा कर सकते है। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत निविदा ग्रहण नही की जावेगी। दिनांक 23.01.2019 को दोपहर 02.00 वजे निविदाकर्ता या निविदाकर्ता के प्रतिनिधि के समक्ष इस स्थापना में गठित समिति द्वारा निविदा खोली जायेगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय मे प्राप्त किया जा सकता है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की बेबसाईट(www.mphc.gov.in) पर एवं जिला न्यायालय गुना की बेबसाईट (dcourtgun-mp@nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

24/12/18

जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
गुना (म.प्र.)

एनेक्जर – 'बी'

कार्यालय– जिला एंव सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, जिला– गुना (म.प्र.)

–: कैन्टीन संचालन हेतु निविदा फार्म एंव शर्ते –:

निविदा फार्म

प्रथम पक्ष– निविदाकर्ता का नाम ....

पता– ....

....

मोबाईल नं0 ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि ....

द्वितीय पक्ष– जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
गुना

---000-----

–: निविदा शर्ते :–

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद्व निविदा दिनांक 21.01.2019 के शामः काल 05.00 वजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।

02. निविदाकर्ता एंव द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध दो वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा। अनुबंध अनुसार कैन्टीन संचालन की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

03. जिला न्यायालय परिसर में कैंटीन हेतु 30X40= लगभग 1200 वर्ग फिट की भूमि उपलब्ध कराई जावेगी, जिस पर निविदाकर्ता कैटींन संचालन हेतु स्वयं के व्यय पर अस्थायी निर्माण करेगा।

04. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है, तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

05. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये 20,000/– की जमानत राशि जिला न्यायाधीश गुना को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।

06. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 6 माह पूर्ण होने से 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

07. अनुवंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एंव धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

08. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

09. कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

11. निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

13. समय–समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

14. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो

शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

16. निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।

17. कैंटीन दुकान के संचालन के लिए प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुए व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।

18. निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

19. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

20. विक्रय योग्य वस्तुओं की अनुमोदित दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

21. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

23. कैंटीन जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सायं 06 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

24. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों / न्यायालयीन कर्मचारियों / पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा / उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा / निविदा निरस्त की जा सकेगी।

25. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

26. सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय – समय पर किया जावेगा।

27. कैंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

28. प्रथम पक्ष कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यासवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रम विधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

29. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों / धूम्रपान / पान / तम्बाकू / बीडी / सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

24/12/18

निविदा (प्रथम पक्ष)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय गुना में 2 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा

एनेक्जर – 'ए'

कोटेशन फार्म

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	निविदाकर्ता का पता	
3	फर्म की प्रकृति / पार्टी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)	प्रॉपरायटरशिप / पार्टनरशिप / प्रायवेट लिमिटेड / पब्लिक
4	प्रॉपरायटर का नाम / मैनेजिंग पार्टनर / मैनेजिंग डायरेक्टर	
5	कांटेक्ट डिटेल	फोन – मोबाईल– ई–मेल–
6	पेन	
7	पंजीयन क्रमांक, यदि कोई हो तो	
8	अमानत राशि	5. राशि 6. एफडीआर 7. जारी करने की दिनांक 8. जारी करने वाले बैंक का नाम

12. अनुभव विवरण (यदि कोई हो तो संलग्न किया जावे)

क्र.	संस्था / विभाग का नाम जहां पर केंटीन संचलित है / था।	अनुबंध की अवधि	उक्त संस्था शासकीय / स्वशासी / प्रायवेट	कार्य किए जाने का संतुष्टि प्रतिवेदन हां / नहीं

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय गुना में 02 वर्ष की अवधि हेतु केंटीन संचालन हेतु निविदा

<u>चेक लिस्ट</u>

निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क.	विवरण	संलग्न (हां /नहीं)
1	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट	
2	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	
3	निविदाकर्ता के निवास के संबंध में प्रमाण–पत्र	
4	पेनकार्ड की छायाप्रति	
5	अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति	
6	नियत प्रारूप एनेक्सर 'ए' पर निविदा	
7	नियत प्रारूप एनेक्सर 'बी' पर फार्म	

स्थान :– **(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)**

दिनांक :– **नाम** **कंपनी सील**